है तनख्वाह के साथ। केवल एक जगह जहां हमने कुछ ज्यादा सहूलियत दी हैं। वह हमारे वार पर्सनल्स है और उनके लिए एवियेशन रिस्क या वार रिस्क की वजह से हमने कोई प्रीमियम नही बढ़ाया है, बाकी हमारे यहा छोटा काम होने से और दूसरे कामो के साथ यह काम होने से इसमें खर्च कम होता है। जहा तक इस बात का सवाल है कि एल०आई०सी० में खर्च ज्यादा क्यों होता है, उसके लिए मैंने जरूर कहा था कि उसको दूसरे विभाग को देखना है और वह उसको देखेंगे कि वहा खर्च ज्यादा क्यों होता है। लेकिन साथ ही आप यह भी याद रखें कि जो उनके काम करने वाले है उनकी भलाई की बात भी हमको देखनी होती है। हम दूसरो की तरह काम नही कर सकते। और तीसरी बात जो राजनारायण जी ने कही, उसके लिए जो उनके मन में कुछ न कुछ होता ही है जिसको उन्हे कहना चाहिए। जब वह खड़े होते हैं तो इन्दिरा जी के लिए बिना कुछ मनगढंत कहे वह रह नहीं सकते। वैसे हर व्यक्ति को अधिकार है कि भले ही वह किसी का रिश्तेदार हो, सही तरीके से अपना काम कर सकता है और इस संविधान के रहते हुए हम किसी पर कोई रोक नही लगा सकते और मैं समझता हूं कि राजनारायण जी भी सोचेंगे कि इसमें किसी पर कोई रोक नही लगनी चाहिए। जो पोलिटिक्स में आए उस पर आप आक्रमण कीजिए लेकिन भलमनसाहत का तकाजा यह है कि हम दूसरों पर छींटे न उछाले।

श्री राजनारायण : श्रीमन् मेरी व्यक्तिगत सफाई यह है कि मेरी कोई आदत नही है किसी पर आक्षेप करने की। साफ बात यह है कि सोनिया गाधी को ओरियंटल फायर इंश्योरेंस से 10 हजार रुपया मिलता है। (*Interruptions*) मैं किसी पर आक्षेप नही करता हू लेकिन (*Interruption*) वह 10 हजार पाती है।

श्री गुणानन्द ठाकुर : श्रीमन् इस तरह से गलत बातें बताने का मौका इनको नही देना चाहिए। इस तरह से लोकतन्त्र नही रहेगा।

(*Interruption*)...

SHRI P L. KUREEL URF TALIB : Sir, he is in the habit of making..

MR CHAIRMAN : Please resume your seats. Next question.

प्रधानमंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : नही पाती है।

Payment of Electricity Arrears

*615. SHRI QASIM ALI ABID:
SHRI MAQSOOD ALI KHAN:
SHRI GANESH LAL MALI:
SHRI IBRAHIM KALANIYA:
SHRI KHURSHEED ALAM KHAN:†

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the answer to Starred Question 233 given in the Rajya Sabha on 2nd May, 1974 and state :

(a) whether the dispute regarding Payment of electricity arrears between the New Delhi Municipal Committee and the Delhi Municipal Corporation has since been settled; and

(b) If so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI OM MEHTA) : (a) and (b) No, Sir. The Lt. Governor, Delhi made an effort to resolve the issues but as no agreement was forthcoming he suggested that the matter might be referred for arbitration as earlier agreed to by the two local bodies. Government have accepted the suggestion and necessary steps are being taken in this regard.

SHRI KHURSHEED ALAM KHAN: Sir, Delhi is a city of growth and challenges. It has been suffering from inadequacies and inefficiency of basic civic services. This is obviously attributable to the inefficiency of the Municipal Corporation of Delhi. Therefore, I would like to know, in the first instance, what is the actual amount claimed and what is the actual amount admitted by the New Delhi Municipal Committee.

SHRI OM MEHTA : It is about Rs. 4 crores that is being demanded by D.M. C. But the N.D.M.C. has not admitted anything : they are challenging the amount.

SHRI KHURSHEED ALAM KHAN : May I also know from the hon'ble Minister what is [the present position of the proposal for setting up an autonomous electricity board for Delhi, and if the proposal is under consideration of the Government how soon this is going to be set up as electricity should be taken away from the Municipal Corporation of Delhi as soon as possible?

† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Khrsheed Alam Khan.

SHRI OM MEHTA : My Ministry does not deal with it, It is the Minister of Irrigation and Power who is to look into it. So I would not be able to enlighten my friend on this issue.

SHRI KHURSHEED ALAM KHAN : But this matter was under consideration of the Home Ministry in the past.

MR. CHAIRMAN : Now he says it is not under his Ministry.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY : May I know from the Home Minister whether it is not a fact that the Central Government has instructed the D.D.A. in this matter of electricity arrears not to pay to the Municipal Corporation of Delhi the amount due by way of salary of the sweepers ? That is the background. The Central Government obviously wants to embarrass the Municipal Corporation. They have advised the D. D. A. not to pay to the Municipal Corporation the amount that is to be paid to the Class IV workers of the Municipal Corporation.

MR. CHAIRMAN : That is your information.

SHRI OM MEHTA : The question is regarding D.M.C. and N.D.M.C.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY : They are connected.

SHRI OM MEHTA : D.D.A. has nothing to do with it. Arrears are to be paid by the N.D.M.C. and it is for the Corporation to pay to its employees. If they have to get it from the D.D.A. they can settle with it. But we have not directed anybody not to pay them.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्या यह बात सही है कि डी० एम० सी० के ड्यूज इतने अधिक है कि उनके न देने के कारण दिल्ली के अन्दर बिजली की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन को दिक्कत आती है, यदि हां तो इसके लिए आप कौन सा रास्ता अपनाएंगे ? एन०डी०एम०सी० जो केवल आपकी बाडी है, गवर्नमैंट की बाडी है, उसमें निर्वाचित लोग नही है, उसको गवर्नमैंन्ट को अफसर्स देखते हैं, आपके अपाइन्टड लोग उसको देखते है और यह लोग उनको पैसा नही देते हैं तो इस बात को देखने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है इस लिए मैं चाहूंगा कि क्या आप एश्योरैंस देंगे कि जितनी जल्दी हो सकेगा जितना कारपोरेशन का पैसा है वह सारा दिलवा दिया जाएगा ?

श्री ओम मेहता : यह मामला इतना आसान नहीं है... **श्री जगदीश प्रसाद माथुर** कारपोरेशन को काम नही करने नही देंगे यह इनकी साजिश है ।

श्री ओम मेहता . यह मामला डी० एम० सी० और एन० डी० एम० सी० मे 1959 से चल रहा है। 1959 में ऐसा था कि जो सप्लाई हुई इलैक्ट्रिसिटी की एन० डी० एम० सी० को तो उस समय कहा गया कि टैक्स लिया जाए और वह टैक्स डी० एम० सी० को दिया जाए इसके बाद दोनों लोकल बाडीज ने जितने ल्युमिनरीज है उनकी राय जाननी चाही । उसमे सीतलवाड, सी० के० दफतरी एटार्नी जनरल और श्री एस० बी० गुप्त सोलिसिटर जनरल थे इनकी राय ली और उसके बाद जब दोनों की राय कोन्ट्राडिक्ट रही तो यह मामला लैफ्टीनैन्ट गवर्नर के पास गया । लैफ्टीनन्ट गवर्नर इस बारे में अपनी राय दी लेकिन वह राय एन० डी० एम० सी० को मंजूरी नही थी ।

1970-71 में आखिर यह फसला हुआ कि आर्बिट्रेशन जराया जाए । क्योकि यह मामला बहुत पुराना है जब तक इसका आर्बिट्रेशन नही होगा इसका हल नही निकल सकेगा । इसी कारण यह मामला अटका हुआ है अभी हमारे पास यही चीज है कि इसका आर्बिट्रेशन कराया जाए और हम इसके लिए तैयार है । मै फिर कारपोरेशन से भी कहूंगा कि वह जल्दी से जल्दी आर्बिट्रेशन कराए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और जिसका रुपया है उसको मिल सके । हम तो किसी को नहीं बचाना चाहते हैं हम तो यह चाहते है यहा की जितनी मिविक सर्विसेज हैं, एफिशिएन्ट रन करती रहे और अगर डी० एम० सी० को कुछ रुपया एन० डी० एम० सी० पर ड्यू है तो वह उसको जरूर मिले । मै समझता हू जब तक आर्बिट्रेशन नही होगा यह मामला हल नही हो सकता और रूपया भी नही मिल सकता । इसको हल करने के लिए जरूरी है कि कारपोरेशन आर्बिट्रेशन के लिए तैयार हो ।

पिछले दिनो डी० एम० सी० और एन० डी० एम० सी० दोनो ने माना था कि आर्बिट्रेशन होगा लेकिन बदकिस्मती से दास साहब जो थे, जो जज थे उन्होंने नही माना । मै फिर अपील करता हू कि दोनो लोकल बाडीज आर्बिट्रेशन के लिए मान जाएं और फैसले के बाद जिसका रूपया हो उसको मिल जाए ।

श्री राजनरायण : आर्बिट्रेटर किसको बनाया जाएगा ?

माननीय सदस्य : आपको ।

श्री राजनारायण अगर आर्बिट्रेटर मुझ को बनाया जाएगा तो मै इसका फैसला तीन दिन में कर दूगा ।

*553. [The *Questioner* (*Shri Lakshmana Mahapatro was absent. For answer* vide *col. 30* infra.]